

10AA 666660

शपथपत्र

प्ररूप 26

62 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाजपुर से
 प्रत्यायी गविन्द सिंह द्वारा उस्तुत नाम - निर्देशक
 के साथ पृष्ठ सं. 15 का 6 के अनुसार शपथपत्र हेतु

(Handwritten signature)

हस्ताक्षर शपथकर्ता

62 विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र बाजपुर से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं गाविन्द सिंह

पुत्र/पुत्री/पत्नी अमर सिंह

आयु 28 वर्ष 8 माह

जो गाम बृहमनगर पोस्ट कविया कला, काशीपुरका/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 481/2011 एवं 482/2011 थाना काशीपुर
- (II) पुलिस थाना (थाने) काशीपुर जिला (जिले) उधम सिंह नगर राज्य उत्तराखण्ड
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 147, 148, 149, 307, 504, 506 I.P.C.
- (IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई 147, 148, 149, 307, 342, 224, 225 व धारा 7 विभिन्न सेक्शन एग्जेंट
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे मुख्य न्यायिक अधिकारी, काशीपुर
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है नहीं वर्ष 2011

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।


(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
- (II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है लागू नहीं/कोई नहीं
- (III) पुलिस थाना (थाने) कोई नहीं जिला (जिले) राज्य लागू नहीं
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं/कोई नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे कोई नहीं
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं लागू नहीं

स्थान:- बाजपुर

तारीख:- 11.01.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी अर्थ गिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

बाजपुर 11 जनवरी 2012 को सत्यापित किया।

G. Sharma

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर